न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री लालाराम पुत्र हटाराम, जाति पुरोहित, निवासी किवरली 2. श्री पन्नालाल पुत्र नवा, जाति पुरोहित, निवासी किवरली 3. श्री बादूराम पुत्र नवा, जाति पुरोहित, निवासी किवरली 4. श्रीमती कमलाबेन बेवा नवा जाति पुरोहित निवासी किवरली जरिये उसके कायम मुकाम 4/1 पन्नालाल पुत्र नवा निवासी किवरली 4/2 बादूराम पुत्र नवा, निवासी किवरली 4/3 वसना पुत्री नवा निवासी अजारी, तहसील पिण्डवाडा 4/4 राजू पुत्री नवा निवासी कोदरला, तहसील पिण्डवाडा 4/5 इन्द्रा पुत्री नवा निवासी अजारी तहसील पिण्डवाडा 5. सुश्री वसना पुत्री नवा पत्नी केसाजी, जाति पुरोहित, निवासी अजारी, तहसील पिण्डवाडा 6. सुश्री राजू पुत्री नवा पत्नी वगतिंगजी, जाति पुरोहित, निवासी कोदरला, तहसील पिण्डवाडा 7. सुश्री इन्द्रा पुत्री नवा पत्नी रमेशजी, जाति पुरोहित, निवासी अजारी, तहसील पिण्डवाडा वादी संख्या 01 से 03, 04 से 07 तथा 4/1 से 4/5 तमाम जातियान पुरोहित		1. श्री मूला पुत्र भोमा मृतक दि. 08.12.12 2. श्री ज्वारा पुत्र भोमा 3. बसंत पुत्र चूना 4. श्रीमती सूरज पत्नी चूना 5. रावा पुत्र वगता, तमाम जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील आबूरोड 6. श्रीमती कमला पुत्री भोमा निवासी नानरवाडा पत्नी सवाराम 7. श्रीमती सीता पुत्री चूना पत्नी नारायणलाल जातियान पुरोहित 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या 56/2011

दिनांक 19–11–2020

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि ग्राम किवरली पटवार क्षेत्र किवरली तहसील आबूरोड में खसरा नंबर 464 से 472, 496, 497 कुल किता 11 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के नाम पर संयुक्त रूप से कृषि भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 से 7 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 6 श्री भोमा जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता थे एवं उपरोक्त आराजी के सह–खातेदार थे की पुत्री तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहन है। उसका नाम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के 1/4 हिस्से में सह खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 3 की बहन व अप्रार्थी संख्या 4 की पुत्री है तथा अप्रार्थी संख्या 3 से [illegible] हिस्से में सह खातेदार के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक पक्षकार होने [illegible] पक्षकार बनाया गया है। यह कि मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से [illegible] काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:58:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 प्रार्थीगण के कुटुम्बी भाई होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से भी विवादित आराजी की प्रार्थीगण की ओर से देखरेख करते है।

यह कि उक्त प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की कृषि भूमि का और विकास करने के लिए तथा उसका स्वेच्छा व स्वतन्त्र रूप से कृषि कार्य हेतु उपयोग उपभोग करने के लिए प्रार्थीगण उक्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन कराना चाहते है। इस हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 से अनुरोध किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 विधि अनुसार विभाजन करवाने में आनाकानी कर रहे है तथा प्रार्थीगण के हिस्से में आयी भूमि को जबरन अन्य किसी को अंतरित करने की धमकी दे रहे है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा उनके परिवारजन के सहयोग से प्रार्थीगण के हिस्से युक्त विवादित कृषि भूमि को बिना विभाजन कराये अन्य किसी को अन्तरित कर दिया जाता है या प्रार्थीगण को भूमि पर काश्त करने से रोका जाता है अथवा बाधा उत्पन्न की जाती है तो प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात होगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना सम्भव नहीं है। प्रार्थी को अपने विधिक अधिकारों की रक्षार्थ अनेक प्रकरण प्रस्तुत करने होंगे जिससे वाद बाहुल्यता में वृद्धि होगी।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या एक से सात द्वारा पर्याप्त अवसर के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने से इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या आठ सरकार की ओर जवाब प्रस्तुत।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत आराजी ग्राम किवरली पटवार क्षेत्र किवरली तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 464 से 472, 496, 497 कुल किता 11 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक से पांच की संयुक्त खातेदार है। तथा अप्रार्थी संख्या छः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहन है एवं अप्रार्थी संख्या सात अप्रार्थी संख्या तीन की बहन तथा अप्रार्थी संख्या चार की पुत्री है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि पर काश्त करने मे तथा उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करना साबित करने मे असफल रहे है। प्रार्थीगण अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी.परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

आदेश

यह कि प्रश्नगत आराजी ग्राम किवरली पटवार क्षेत्र किवरली तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 464 से 472, 496, 497 कुल किता 11 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक से पांच की संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थी संख्या छः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहन है तथा अप्रार्थी संख्या सात अप्रार्थी संख्या तीन की बहन एवं अप्रार्थी संख्या चार की पुत्री है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि पर काश्त करने मे तथा उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करना साबित करने मे असफल रहे है। तथा प्रार्थीगण अपूर्तनीय क्षति, सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मे अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र तहत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी. सी.परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19-01-2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:38:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत